पत्र संख्या-बजट-39-मु0व्य0दु0बी0यो0(2026-27)// 116 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 10 जून, 2026

// विलम्बमर्षण आदेश //

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1312/11-2018-400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28.12.2018 द्वारा राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को दिनांक 15.06.2018 से अग्रिम आदेशो तक विभाग द्वारा चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी ।

उक्त के कम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-714 दिनांक 27.01.2025 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित है कि प्रकरण की सूचना मृत्यु/दुर्घटना के दिनांक से छः माह के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए यदि व्यापारी/ दावेदार द्वारा उक्त सूचना निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्रेषित की जाती है, तो विलम्ब का स्पष्ट कारण प्राप्त करते हुए खण्डाधिकारी, संयुक्त आयुक्त(कार्य0) के माध्यम से स्पष्ट संस्तुति सहित विलम्बमर्षण हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करेगे ।

उक्त परिपत्र के कम में सूची में अंकित प्रकरण मुख्यालय को आनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए थे:-

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम
1	इटावा	स्व० श्री शिवेन्द्र दुबे	सर्वश्री बागेश्वर इण्टरप्राइजेज, इटावा	13.04.2025	03-02-2026	श्रीमती जागृति दुबे पत्नी
2	गोरखपुर	स्व० श्रीमती विमला मिश्रा	सर्वश्री एस०वी०डी०कान्सट्रक्शन, देवरिया	22-05-2023	27-02-2026	श्रीप्रकाश मिश्रा पति
3	गोरखपुर	स्व० श्री सिराज अहमद	सर्वश्री पब्लिक ट्रेडर्स, गोरखपुर	13-05-2025	25-11-2025	श्रीमती रफित पत्नी
4	गोरखपुर	स्व० श्री कन्हैया लाल	सर्वश्री कन्हैया स्वीट हाउस बर्थ-डे केक एण्ड बेकर्स, गोरखपुर	05-03-2025	27-02-2026	श्रीमती माया देवी पत्नी

सूची में अंकित प्रकरण में आयुक्त महोदय द्वारा विलम्बमर्षण प्रदान कर दिया गया है। तत्क्रम में अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण को समिति की संस्तुति के पश्चात् आन-लाइन माध्यम से समस्त प्रपत्रों एवं समिति की रिपोर्ट को अपलोड कराते हुए तत्काल मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके ।

उक्त आदेश आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड–1, राज्य कर, इटावा एवं गोरखपुर को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्य), राज्य कर, इटावा एवं गोरखपुर–ए/बी को सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

to jc.doc